राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

पीठासीन अधिकारी नंदकिशोर राजोरा RAS

प्रकरण संख्या :– 57/2017 प्रा. पत्र

दायरा दिनांक :– 18.09.2017

निर्णय दिनांक :– 31.07.2019

उनवान

मन्दिर श्री राम जानकी जी ग्राम कोलूखेडा तह. छबडा जिला बारां जरिये पुजारी, संरक्षक एवं प्रबन्धक मन्दिर श्रीराम जानकी जी :–

1. महावीर उर्फ महेश पुत्र स्व. मांगीलाल
2. हेमराज पुत्र स्व. मांगीलाल
3. पंकज पुत्र स्व. मांगीलाल
4. नन्नू पुत्री स्व. मांगीलाल
5. मांगीबाई बेवा स्व. मांगीलाल जातियान बेरागी निवासी ग्राम कोलूखेडा तह. छबडा जिला – बारां

प्रार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र रामचरण
2. महेन्द्र पुत्र रामचरण
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
4. जयनारायण पुत्र रामकिशन
5. नवल पुत्र मोहनलाल
6. पप्पू पुत्र कन्हैयालाल जातियान गालव (ब्राह्मण) निवासी ग्राम कोलूखेडा तह. छबडा जिला बारां

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA

निर्णय दिनांक 31.07.2019

उपस्थित अभिभाषक :– 1. भगवान बलरिया – प्रार्थी

2. रामेश्वर गोयल – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध अप्रार्थी गण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम कोलूखेडा तह. छबडा मे श्रीराम जानकी

अवस्थित है। उक्त मन्दिर की सेवा पूजा एवं उसका प्रबन्धन प्रार्थीगण करते चले आ प्रार्थीगण से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज शुरू से ही उक्त मन्दिर की सेवा पूजा व मन्दिर का प्रबन्धन करते चले आ रहे थे। ग्राम कोलूखेडा तह. छबडा मे भूमि ख.नं. 110 रकबा 3.12 बीघा, ख.नं. 265 रकबा 1.10 बीघा, ख.नं. 343 रकबा 2.08 बीघा, ख.नं. 345 रकबा 2.14 बीघा, ख.नं. 377 रकबा 3.16 बीघा, ख.नं. 394 रकबा 4.12 बीघा, ख.नं. 443 रकबा 6.19 बीघा, कुल किता 7 रकबा 25.11 बीघा स्थित है। यह भूमि मन्दिर श्रीराम जानकी जी ग्राम कोलूखेडा जरिये पुजारी जगन्नाथ पुत्र तुलसीदास कोम बैरागी निवासी कोलूखेडा तह. छबडा के खातेदारी मे अवस्थित थी। जगन्नाथ पुत्र तुलसी राम के देहान्त के पश्चात उसके वारिसान मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ, बिरधी बेवा जगन्नाथ व पुष्पा, कस्तुरी पुत्रीयां जगन्नाथ के नाम उक्त भूमि खाते आई तथा मांगीलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी गण के नाम खाते दर्ज हुई और वर्तमान में मन्दिर के नाम दर्ज है।

प्रार्थी गण पीढियों से निरन्तर वहैसियत पुजारी एवं प्रबन्धक उक्त मन्दिर के है एवं तभी से ही सेवा पुजा करते चले आ रहे है तथा उक्त मन्दिर की उक्त भूमि की देखरेख एवं काश्त करते चले आ रहे है उक्त मन्दिर की भूमि से प्राप्त आये से मन्दिर के तेल भोग की मन्दिर पर होने वाले उत्सव त्योहार आदि एवं मन्दिर के मरम्मत आदि के सामान, बाग, बछावनी खर्चे की व्यवस्था होती है। इसके अलावा मन्दिर की आय का कोई स्त्रोत नही है वर्तमान मे प्रार्थी गण ही मन्दिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे है तथा उसकी भूमि को काश्त करते चले आ रहे है तथा उससे प्राप्त आय से मन्दिर के खर्चे का प्रबन्ध करते चले आ रहे है। प्रार्थी गण के निजी खाते मे भी कुछ भूमि स्थित है जिसमे भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत प्रार्थीगण उसमे शोचालय बनाना चाहते है इस हेतु प्रार्थी गण ने अपनी भूमि मे शोचालय निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को शोचालय नहीं बनाने दिया। तथा कहा कि यदि तुम अपनी भूमि मे शोचालय बनाओगे तो तुम्हे मन्दिर की सेवा पूजा नहीं करने देंगे तथा मन्दिर की भूमि पर भी तुम्हे काश्त नही करने देंगे। इस प्रकार की धमकी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 22.08.2017 को दी गई जिसकी शिकायत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थी गण मन्दिर का रंग–रोगन व मन्दिर का जीर्णोद्धार करना चाहते है जिसे अप्रार्थी गण नहीं करना चाहते है और प्रार्थीगण को धमकी देते है कि तुम पर शराब, मांस, मदिरा खाने पीने का इल्जाम लगाकर सेवा पूजा से हटा देंगे तुम्हे उक्त मंदिर की भूमि पर भी काश्त करने नहीं देंगे उक्त अप्रार्थी वादीगण को धमकी देते है कि हमारे परिवार ज्यादा है और तुम अकेले हो जबकि प्रार्थीगण शुद्ध सात्विक प्रवृति के एवं ईश्वर भाव के उपासक है। प्रार्थी गण पीढियों से उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे है तथा मन्दिर की भूमि काश्त करते चले आ रहे है। यदि अप्रार्थी गण ने प्रार्थीगण को मन्दिर की सेवा पूजा करने मे तथा मन्दिर की भूमि मे काश्त करने की बाधा डाली तो प्रार्थी गण का काफी नुकसान होगा। प्रार्थी गण अपने सेवा पूजा के अधिकारों से वंछित हो जायेगा तथा मन्दिर की आय का स्त्रोत समाप्त हो जाने से उनकी देखरेख, मरम्मत, रंगरोगन एवं अन्य कई प्रकार की व्यवस्था नही हो पायेगी वादी/प्रार्थीगण का काफी नुकसान होगा जिसकी क्षति–पूर्ति सर्वथा असम्भव है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया वाद है तथा वाद का सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी गण के पक्ष मे है प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिये समन तलब किया। अप्रार्थी गण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थना मे नकल, बंदोबस्त ग्राम कोलूखेडा सम्वत 2012–31 नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत 2043–46, नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत 2042–45, नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत 2070–73 खाता सं. 184 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोलूखेडा मे स्थित है जो माफी मन्दिर रामजानकी जी के खातेदारी मे दर्ज है विवादित आराजी जरिये पुजारी जगन्नाथ पुत्र तुलसीराम कौम बेरागी के खातेदारी दर्ज थी। जगन्नाथ के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान मांगीलाल वगै. के नाम दर्ज हुई। वर्तमान मे उक्त भूमि माफी मन्दिर रामजानकी जी के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त विवादित भूमि को व मन्दिर की सेवा पूजा प्रार्थी के पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। अप्रार्थी गण द्वारा विवादित आराजी को काश्त नहीं करने एवं मन्दिर की सेवा पूजा भी नही करने की धमकी दी है। अप्रार्थी गण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी गण को भूमि से काश्त करने से नही रोके और न ही मन्दिर की सेवा पूजा करने से रोका जावे। उक्त विवादित भूमि व उक्त प्रकरण मे मान. न्याया. द्वारा दिनांक 01.06.2018 को निर्णय पारित कर विवादित भूमि को रिसीवर किया गया था। जबकि विवादित भूमि की रिसीवरी प्रा. पत्र 212(2) RTA मे की जाती है यह प्रार्थना पत्र 212 RTA का था न कि 212(2) RTA का । उक्त निर्णय की अपील मान. न्याया. भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा मे की गई। मान. न्याया. द्वारा अधीनस्थ न्याया. का निर्णय दिनांक 01.06.2018 अपास्त कर प्रकरण मे तथ्यो की गहनता से जांच कर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति किस पक्ष मे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है विवादित आराजी गालव समाज द्वारा दान की गई है जिस पर गालव समाज कमेटी द्वारा हर वर्ष आय व्यय का ब्योरा रखा जाता है एवं मन्दिर के भोग प्रसाद पूजा संबन्धित खर्चे निर्वहन किये जाते है विवादित भूमि रामजानकी जी मन्दिर के नाम से है एवं मन्दिर गालव समाज द्वारा बनवाया गया है। रामजानकी शाश्वत मूर्ति है जिसको कानूनन नाबालिग माना गया है। नाबालिग की भूमि की देखरेख उसके संरक्षक द्वारा की जाती है। उक्त भूमि के संरक्षक गालव समाज है गालव समाज द्वारा उक्त भूमि को हर वर्ष पाती–मुनाफे से अलग–अलग व्यक्तियो को पाती–मुनाफे पर जुपाकर होने वाली आय से गालव समाज मन्दिर का खर्चा वहन किया जाता है। प्रार्थी गण की नियत खराब हो गई है। विवादित भूमि को मन्दिर की आड मे हडपना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु गालव समाज का मन्दिर व जमीन होने के बावजूद भी समाज की कमेटी की बात नही सुनता है। समाज के लोगो के खिलाफ वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया जिसका सीधा उद्देश्य पुजारी मन्दिर के बहाने गालव समाज के मन्दिर की भूमि को हडपना चाहता है। वकील अप्रार्थी की ओर से निम्न साइंटेशन डीएनजे 2019 पेज नं. 19, आरआरडी 2015 पेज नं. 114, आरआरडी 1982 पेज नं. 225, आरआरडी 1957 पेज नं. 68, डीएनजे 2013 पेज नं. 1117, आरआरडी 1977 पेज नं. 446 पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड नकल जमाबंदी ग्राम कोलूखेडा के अनुसार विवादित भूमि रामजानकी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

जरिये पुजारी जगन्नाथ पुत्र तुलसीदास बेरागी निवासी कोलूखेडा का नाम दर्ज था। की मृत्यु के बाद उसके वारिसान मांगीलाल वगै. का नाम जरिये पुजारी दर्ज किया वर्तमान में मन्दिर रामजानकी जी के खातेदारी मे दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मन्दिर रामजानकी जी जरिये पुजारी जगन्नाथ के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान मे रामजानकी जी के खातेदारी मे दर्ज है चूंकि भूमि मन्दिर रामजानकी जी के खातेदारी की है परन्तु मन्दिर की पूजा देखभाल, मरम्मत, तेल भोग के कारण भूमि पुजारियों को काश्त करने के लिए दे दी गई। इस कारण से जमाबंदीयों मे पुजारियो का नाम जरिये करके लिख दिया गया है। अप्रार्थी गालव समाज का मन्दिर होना बताते है जबकि उन्होने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया जिससे मन्दिर गालव समाज का साबित हो सके। मन्दिर सभी समाज का होता है जाति विशेष का कोई मन्दिर नही होता है। गालव समाज द्वारा भूमि मन्दिर को दान की गई होना बताया है परन्तु दान देने का ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया जिससे विवादित भूमि गालव समाज द्वारा दान दिया जाना साबित हो सके। प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष मे है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी गण को होगी। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गण को फैसला बाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोलूखेडा तह. छबडा के ख.नं. 110 रकबा 3.12 बीघा, ख.नं. 265 रकबा 1.10 बीघा, ख.नं. 343 रकबा 2.08 बीघा, ख.नं. 345 रकबा 2.14 बीघा, ख.नं. 377 रकबा 3.16 बीघा, ख.नं. 394 रकबा 4. 12 बीघा, ख.नं. 443 रकबा 6.19 बीघा, कुल किता 7 रकबा 25.11 बीघा भूमि पर प्रार्थी गण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। न तो अप्रार्थी गण स्वयं करे ओर न ही अपने प्रतिनिधियो से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नंदकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां